।। न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्र सिंह परमार, आर०ए०एस०

2019/83

राजस्व वाद सं० 2/53 तारीख रज्जू 17.06.2019

01– प्रहलाद सैनी पुत्र श्री काला सैनी जाति माली उम्र करीब 62 वर्ष निवासी ग्राम व तहसील मालाखेडा जिला अलवर **–प्रार्थी**

बनाम

01– कमला पत्नि श्री छोटे खां जाति माली निवासी ग्राम सिंगरका तहसील रामगढ जिला अलवर

02– खिल्लू नबीरा भगवान जाति माली निवासी ग्राम व तहसील मालाखेडा जिला अलवर

03– चाहतबी पत्नि श्री बतूला जाति माली निवास ग्राम सिंगरका तहसील रामगढ जिला अलवर

04– राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर **–अप्रार्थीगण**

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: निर्णय :– **दिनांक: 19.09.2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राज० काश्तकारी अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि हाल आराजी खसरा [illegible] 2874 रकबा 0.16 है०, 2875 रकबा 0.23 है०, 2880 रकबा 0.44 है० कुल कि० [illegible] रकबा 0.83 है० वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा में स्थित है। वि[illegible]त आराजी में 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:56:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

हिस्से का खातेदार बोदन पुत्र भगवान माली निवासी मालाखेडा था। जिसने अपनी उक्त खातेदारी का हिस्सा मिन प्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.2012 को बेचान कर दिया। जिसका प्रार्थी के हक में इंतकाल दर्ज हो गया एवं जमाबन्दी में खातेदारी का अंकन कर दिया गया। खरीदशुदा आराजी पर वादी का कब्जा है। वादी एवं असल प्रतिवादीगण शामलात में काश्त करते चले आ रहे है। जिसका विधिक बटवारा नही हुआ है। अब अप्रार्थीगण के मन में बेईमानी व दुर्भावना आ गई है। जिस कारण प्रतिवादीगण वादी से रंजीश रखने लगे है एवं वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर प्लाट काट कर विक्रय कर कच्चा पक्का निर्माण कर वादी को नुकसान पहुँचाना चाहते है। आये दिन झगडा फसाद करते है। दिनांक 09.06.2019 को वादी अपने हिस्से की आराजी में कार्य काश्त कर रहा था प्रतिवादीगण ने वादी के कब्जे में रूकावट मजाहमत की एवं सरे आम धमकी दी की विवादित आराजी को बिना विधिक बटवारा किये प्लाट काटेंगे, बेचान करके रहेंगे इस कारण वादी ने ये वाद तकसीम पेश किया है। वादग्रस्त आराजी का विभाजन कर अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी आराजी तकसीम की जाकर अलग से खाते व लगान कायम किये जावे। यदि वादग्रस्त आराजी में से बिना बटवारा कराये आराजी का बेचान कर दिया व कच्चा पक्का निर्माण कर लिया तो मुकदमेबाजी बढेगी। इस कारण प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे की वो प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की रूकावट मजाहमत ना करे व फसल बोने, जोतने, काटने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे व निर्माण कार्य ना करने हेतु पाबन्द करने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलात का अवलोकन करने पर एवं वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन करने एवं शपथपत्र पर विश्वास करते हुए प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष [illegible] जाने पर दिनांक 17.06.2019 को अप्रार्थीगण को जरिये [illegible] पेशी तक हाल आराजी खसरा नम्बर 2874 रकबा 0.16 है०, [illegible]5 रकबा 0.23 है०,

Signature Not Verified
Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:56:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

2880 रकबा 0.44 है० कुल किता 3 रकबा 0.83 है० वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा में प्रार्थी के हिस्से तक मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध दिनांक 02.09.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। एकपक्षीय बहस पर मनन किया। प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय क्षति प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते है। हम दिनांक 17.06.2019 को हाल आराजी खसरा नम्बर 2874 रकबा 0.16 है०, 2875 रकबा 0.23 है०, 2880 रकबा 0.44 है० कुल किता 3 रकबा 0.83 है० वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा में प्रार्थी के 1/4 हिस्से तक मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) कर कन्फर्म किया जाना उचित समझते है।

अतः दिनांक 17.06.2019 को हाल आराजी खसरा नम्बर 2874 रकबा 0.16 है०, 2875 रकबा 0.23 है०, 2880 रकबा 0.44 है० कुल किता 3 रकबा 0.83 है० वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा में प्रार्थी के 1/4 हिस्से तक मौका व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद (Absolute) कर कन्फर्म की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, बाद तकमील संलग्न मूल वाद रहे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 11:36:34 IST
Reason: SelfAttested

(वीरेन्द्र सिंह परमार)
सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner